

परिपत्र सं. 12/2025

फा. सं. 225/131/2025/आईटीए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर, 2025

**विषय: - निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार - संबंध में।**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (I) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट गैर-लेखापरीक्षा योग्य निर्धारितियों के मामले में निर्धारण वर्ष (एआई) 2025-26 के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर **16 सितंबर, 2025** करता है (परिपत्र सं. 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के अनुसार देखें फा.सं. 225/205/2024- आईटीए-1I)।

(डॉ. केस्ट्रो जयप्रकाश टी)

भारत सरकार के अवर सचिव

## **प्रतिलिपि:**

1. एफ.एम के निजी सचिव / राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव।
2. राजस्व सचिव के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) एवं सीबीडीटी के सभी सदस्य।
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक।
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी।
6. वेब प्रबंधक को, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश डालने के अनुरोध सहित।
7. आयकर आयुक्त (एम एंड टीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता को, व्यापक रूप से प्रचार करने के अनुरोध सहित।
8. संयुक्त आयकर आयुक्त, डाटा बेस सेल को [irsofficersonline.gov.in](http://irsofficersonline.gov.in) पर डालने के अनुरोध सहित।
9. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

**(डॉ. केस्ट्रो जयप्रकाश टी)**

**भारत सरकार के अवर सचिव**